

संख्या ४/३/७२- कॉड ०१।

भारत सरकार
कार्यपालिका, नोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्यपालिका और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक १४.१.७५

कायांलिय-ज्ञापन

विषय: मंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों के वैर्यक्तिक स्टाफ की इक्वारी
तथा संबंधित विषयों पर समेकत अनुदेश।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में समय-समय पर
केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों को अनुमत्य
वैर्यक्तिक स्टाफ के की संख्या तथा संबंधित विषयों पर अनुदेश जारी किए हैं।
इस विषय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों को संदर्भ सुचित हेतु इस
कायांलिय-ज्ञापन में अद्यतन तथा समेकित किया गया है।

2. इसमें परवर्ती अभिव्यक्ति "एकल मंत्रालय अथवा स्वतंत्र विभाग" से
तात्पर्य किसी एकल मंत्रालय अथवा पृथक विभाग से है, जैसा कि समय-समय
पर यथासंशोधित भारत सरकार कारोबार आर्बटन नियमाली, १९६१
की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें एक ही मंत्रालय के
विभिन्न विभाग जैसे कि वित्त मंत्रालय के व्यव विभाग, आर्थिक-कार्य विभाग
इत्यादि शामिल नहीं होंगे। किन्तु अलग-अलग स्वतंत्र विभाग जैसे कि अंतरिक्ष
विभाग, इलैक्ट्रोनिकी विभाग आदि शामिल होंगे।

३. सामान्य हकदारी :

मंत्री/उप मंत्री/संसदीय सचिव जब किसी एक मंत्रालय अथवा किसी एक
स्वतंत्र विभाग का कार्यभार सम्भालते हैं तो सामान्यतः उनके वैर्यक्तिक
स्टाफ की निम्नलिखित संख्या अनुमत्य होगी :-

केर्टिबिनेट भंडवी

स्टार्ट की श्रेणी	पदों की संख्या	बेतनमान यथा संशोधन	आभ्युक्तगता
निजी सचिव	1	₹ 3700-5000 रु०० ₹ 4500-5700 रु००	
आंतरिक निजी सचिव	2	₹ 3000-4500 रु००	
सहायक निजी सचिव	2	₹ 2000-3500 रु००	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के "क" तथा "छ" जीर्वलित ग्रेड में शामिल ।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	₹ 2000-3500 रु००	-वही-
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	₹ 1640-2900 रु००	केन्द्रीय सचिवालय आशुर्लिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल ।
हिन्दी आशुर्लिपिक	1	₹ 1400-2600 रु००	केन्द्रीय सचिवालय आशुर्लिपिक सेवा में शामिल नहीं यदि द मंत्री द्वारा मांगा जाएँ
लिपिक	1	₹ 950-1500 रु००	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल ।
इन्हिंवर	1	₹ 950-1500 रु००	
जमादार	1	₹ 775-1025 रु००	
चपरासी	4	₹ 750-940 रु००	
कुल	15		

राज्य मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान १०.१०.८६ से यथा संशोधित	अभियुक्तियाँ
निजी सचिव	1	₹ 3700-5000रु० ₹ 4500-5700रु०	
अतिरिक्त निजी सचिव	1	₹ 3000-4500रु०	
सहायक निजी सचिव	1	₹ 2000-3500रु०	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" संविलित में शामिल। जब राज्य मंत्री किसी मंत्रालय/विभाग का स्वतंत्र कार्यभार संभालते हैं तो यदि आवश्यक हो उन्हें एक अतिरिक्त सहायक निजी सचिव दिया जा सकता है।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	₹ 2000-3500रु० के समान आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" संविलित में शामिल	
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	2	₹ 1640-2900रु० के समान आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल	
हिन्दी आशुलिपिक	1	₹ 1400-2600रु० के समान आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं। यदि मंत्री द्वारा मांगा जाए	

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान ₹ ।।।.86 से यथा संशोधित ₹	अभियुक्तयाँ
लिपिक	1	₹ 950-1500 रु०	केंद्रीय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
इंड्राईवर	1	₹ 950-1500 रु०	
जमादार	1	₹ 775-1025 रु०	
चपरासी	3	₹ 750-940 रु०	
कुल	13		

उप मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान ₹ ।।।.86 से यथा संशोधित ₹	अभियुक्तयाँ
निजी सचिव	1	₹ 3700-5000 रु० ₹ 4500-5700 रु०	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	₹ 2000-3500 रु०	केंद्रीय लिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" संविलित ₹ में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	₹ 1640-2900 रु०	केंद्रीय लिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल।
लिपिक	1	₹ 950-1500 रु०	केंद्रीय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
इंड्राईवर	1	₹ 950-1500 रु०	
जमादार	1	₹ 750-1025 रु०	
चपरासी	1	₹ 750-940 रु०	
कुल	7		

संसदीय सचिव

स्टाफ की पदों की संख्या देतनपान् अनिषुचितम्
श्रेणी १०.१.८६ से यथास्थानित

निजी सचिव ३७००-५०००रु० ४५००-५७००रु०

प्रथम वैयक्तिक सहायक २०००-३५००रु०

के०८०आशुष्ट० के ग्रेड "क" तथा "ख" इसंचिलितम् में शामिल

द्वितीय वैयक्तिक सहायक १६४०-२९००रु०

के०८०आशुष्ट० के ग्रेड "ग" में शामिल

इार्डवर ९५०-१५००रु०

चपरासी ७५०-९४०रु०

कुल ५

रुका०ज्ञा०सं०-८/५/८५-के०८० ।।, दिनांक २.४.८५, ४.४.८५, ।।
।।.६.९।॥

विशेष/निर्दिष्ट परिस्थितियों में हकदारी :

4.

रुक्ष जब केबिनेट मंत्री द्वारा दो अलग-अलग मंत्रालयों का कार्यभार संभाला

जा रहा हो :

उन परिस्थितियों में जहाँ केबिनेट मंत्री नियमित आधार पर अस्थायी तौर पर नहीं दो स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहा हो तो वहाँ पर उपरोक्त पैरा ३ में केबिनेट मंत्री के लिए यथा निर्धारित पूर्ण स्टाफ, दोनों मंत्रालयों में प्रत्येक के लिए अलग से अनुमत्य होगा ।

रुका०ज्ञा०सं० ८/७/८९-के०८० ।।, दिनांक २२.६.९०॥

..... 6/-

श्रृंखला जहां राज्य मंत्री के पास अतिरिक्त कार्यभार हो

जहां राज्य मंत्री किसी अन्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अधीन किसी एक स्वतंत्र विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा हो वहां यदि मंत्री मांग करे तो वह विशेष निजी सचिव ₹3700-5000/- रुपये के एक अतिरिक्त पद के लिए हकदार होगा । लेकिन यह उस राज्य मंत्री के मामले में अनुमत्य नहीं होगा । जो कि एक ही मंत्रालय के अधीन एक से अधिक विभागों का काम देख रहा हो ।

काठगाड़ा सं-० ८/५/८५-के०१४।।१६ दिनांक ६७।।

तथापि विशेष निजी सचिव की हकदारी के प्रावधान की व्यवस्था स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है ।

काठगाड़ा सं-०-८/५/८५-के०१४।।१६ दिनांक ८. १२. ९२।।

श्रृंखला जब मंत्री द्वारा अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कार्यभार वहन किया जा रहा हो:

जब किसी मंत्री को किसी ऐसे अतिरिक्त पौर्टफोलिओं का कार्यभार सौंपा जाता है जिसे पहले कोई अन्य मंत्री देख रहे थे और जिन्होंने त्यागपत्र देकर अथवा अन्यथा मंत्री परिषद को छोड़ दिया हो तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अतिरिक्त कार्यभार संभाले जाने की अवधि तक वे नीचे दी गई मात्रा में कार्यभार के लिए अतिरिक्त वैयक्तिक स्टाफ के हकदार होंगे:-

१. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव
२. प्रथम वैयक्तिक सहायक
३. द्वितीय वैयक्तिक सहायक
४. अवर श्रेणी लिपिक
५. जमादार
६. उपरासी

टिप्पणी-१ यदि पहले से ही वहां निजी सचिव हो तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे वही रहने दिया जाना चाहिए । कारण ये है कि कई बार अधिकारियों को विभिन्न सेवाओं से निजी सचिव के रूप में लिया जाता है तथा यह वांछित होगा कि स्थायी पदधारी के काम संभालने तक वह इस पद पर कार्य करता रहे ।

टिप्पणी-२ उपरोक्त निर्णय ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां किसी मंत्रालय/विभाग के आंशिक कार्य को, मंत्री के पौर्टफोलिओ के साथ जोड़ दिया गया हो । ऐसे मामलों में जहां संशय हो यह जांच करके देखा जा सकता है कि क्या वह मंत्रालय/विभाग जिसे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मंत्री को सौंपा गया है, का कार्य पहले किसी अन्य मंत्री द्वारा संभाला जा रहा था ।

टिप्पणी 3: एक से अधिक स्वतंत्र विभाग के कार्यपुरभारी किसी राज्य मंत्री को अनुदेश दिलेह निजी सचिव का पद, पूर्वोक्त उप पैरा ३ खंड में उल्लिखित पैरि स्थिति में किसी राज्य मंत्री के अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी तौर पर हेने पर निर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाफ के अलावा अनुमत्य नहीं होगा।

₹का०ज्ञा० सं०-८/६/८६-के०से०॥१॥ ₹ दिनांक ४.६.८७

४घं

जब उप मंत्री अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा हो:

जब किसी उप मंत्री को किन्हीं कारणों से अपने मूल कार्यभार के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है और इसे दो अलग-अलग स्थानों पर कार्य करना होता है तो पैरा ३ में दी गई सामान्य छक्कारी के अतिरिक्त वह नीचे दिए गए अतिरिक्त स्टाफ के लिए हकदार होगा ।:-

वैयक्तिक सहायक	₹ 1640-2900 स्पष्टे०
चपरासी	₹ 750-940 स्पष्टे०

5. निजी सचिव के पद का स्तर

मंत्रिपरिषिद के सभी सदस्य उप सचिव ₹3700-5000/- स्पष्टे०/निदेशक ₹4500-5700/- स्पष्टे० स्तर के निजी सचिव के हकदार होंगे।

₹का०ज्ञा० सं०-८/१०/८९-के०से०॥१॥ ₹ दिनांक ३.८.९०

6.

मंत्रियों के स्टाफ में पदों का ग्रेड बढ़ाना/निर्धारित संख्या से अधिक पदों का सृजन

6.1 मंत्रियों आदि को अनुदेश वैयक्तिक स्टाफ के पद निर्धारित संख्या से अधिक तब तक सृजित नहीं किये जा सकते जब तक कि इसके लिये वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया जाए।

₹का०ज्ञा० सं०-८/७/८५-के०से०॥१॥ ₹ दिनांक 28.५.८५

6.2 मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा केवल तभी चिचार किया जाता है जब कि संबंधित मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में कुछ पदों का अभ्यार्पण करके बराबर की बचत की गई हो। तथापि बराबर की बचत के उद्देश्य से निजी सचिव के पद के अभ्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए बराबर की बचत करने हेतु निम्न स्तर के पदों जिसमें कि आमुलिपिक सेवा के पद भी शामिल हैं, का अभ्यार्पण न किया जाए।

₹का०ज्ञा० सं०-८/५/८५-के०से०॥१॥ ₹ दिनांक 6.८.९१

6.3 मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में निचले वेतनमान वाले पदों के लिए उच्चतर वेतनमान में वेतन ले रहे कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने के उद्देश्य से पदों का ग्रेड बढ़ाकर उच्चतर वेतनमान में करने का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। पदों का ग्रेड बढ़ाने का अर्थ वैयक्तिक स्टाफ में विधमान पदों के स्थान पर नये पदों का सुजन करना है और ऐसा केवल वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पूर्वानुमोदन प्राप्त करके ही किया जा सकता है।

क्रा०इा० सं०-८/११/८५-के०से०॥१॥ दिनांक १८/२०. १२. ८५

7. निजी सचिवों का कार्य-काल तथा उनकी नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तेः

अपने वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति करने के लिए यह मंत्री पर निर्भर करेगा कि वह व्यक्तियों का चयन सेवारत अधिकारियों में से करे या बाहर के व्यक्तियों में से तथा ऐसी नियुक्ति मंत्रियों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त को-टर्मिनस हो जाएगी। तथापि निजी सचिव के कार्यकाल संबंध में निर्धारित नीति इस प्रकार होगी:-

१। मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के निजी सचिव के पद पर नियुक्तियाँ भारत सरकार के निदेशक वेतनमान 4500-5700/- स्थिरै हो के स्तर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न पर कि उस अधिकारी को क्या वेतनमान दिया जाना चाहिए यह इस बात को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा कि वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में किस स्तर पर अर्थात् अवर सचिव, उप सचिव या निदेशक के पद जैसा भी मामला हो, का पात्र है।

२। निजी सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष या इन दोनों में से जो भी पहले हो, होगा।

३। निजी सचिव के रूप में अपनी अवधि की समाप्ति पर अधिकारी को यह हक होगा कि वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य सेवा अवधि के बोध समय के लिए वह उपयुक्त स्तर पर मंत्रालय में ही काम करता रहे जब तक कि उसके इस तरह नियुक्त न किए जाने के कुछ अन्य कारण हों। इस संबंध में स्थापना अधिकारी द्वारा बनाई गई प्रस्ताव सूची में से उने छह अधिकारियों या संवर्ग में से सीधे लिए गए अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उपयुक्त स्तर पर नियुक्त प्रत्येक मामले में रिक्ति की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

४। यदि किसी अधिकारी को सामान्य "कूलिंग ऑफ" नियमों में छूट देकर निजी सचिव नियुक्त किया जाता है तथा जहाँ ऐसी छूट छः महीने से अधिक की अवधि की है तो ऐसी स्थिति में अधिकारी अधिकतम तीन वर्ष या जब वह निजी सचिव के पद पर कार्य करना छोड़ दे, इन दोनों में से जो भी पहले हो तब कार्यभार संभालने का हकदार होगा तथा वह इससे आगे सेवा अवधि बढ़ाने के लिए हकदार नहीं होगा।

५। मंत्रियों के निजी सचिवों के रूप में नियुक्त केंस०से० के अधिकारियों की उस स्थिति में पदोन्नति होने पर जबकि वे निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हों, उन्हें केंस०से० के अधिकारियों की पदोन्नति पर अदला-बदली के नियम

से हूट दी जाएगी। किन्तु निजी तथिव के पद को छोड़ने पर उन्हें उस विभाग से भिन्न किसी अन्य विभाग से जाना होगा जहाँ उन्होंने उप-तथिव के रूप में अनुभव प्राप्त किया हो।

क्रकाOज्ञाO सं0-31/22/90-के0से0॥१॥, दिनांक 13.8.90॥

8. एक से अधिक मंत्रालय/विभाग का कार्यभार संभालने वाले मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की अभिन्न अनुमत्य संख्या यद्यपि उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार नियमित होगी, वहीं कुछ पदों को मंत्री द्वारा देखे जा रहे सक विभाग में तथा ग्रेज को द्वारे विभाग में सृजित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सृजित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संबंधित मंत्रालयों/विभागों अतिरिक्त वैयक्तिक सहायक तथा द्वितीय वैयक्तिक सहायक के शामिल पदों को मंत्री हारा देखे जा रहे विभिन्न विभागों में बराबर अनुपात में सृजित किया जाए।

क्रकाOज्ञाO सं0-10/53/77-के0से0॥१॥, दिनांक 3.2.78॥

क्रकाOज्ञाO सं0-15/2/78-के0से0॥१॥, दिनांक 20.5.78॥

9. मंत्रियों को स्टाफ कार ड्राईवर, संबंधित मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों में से उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मंत्री की सरकारी कार के लिए बाहर से ड्राईवर की नियुक्ति से बचा जाए।

क्रकाOज्ञाO सं0-13/19/83-के0से0॥१॥, दिनांक 2.12.83॥

10. मंत्रियों द्वारा पद छोड़ने पर कार्यालय समापन के लिए वैयक्तिक स्टाफ का जारी बनाए रखना।

- निर्वात्मान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ के सभी सदस्य अधिकतम् 15 दिनों तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं ताकि मंत्रालय/विभाग उनके अपने विभाग में वापस भेजने के सम्बंध कर सके। तत्पश्चात् यदि निर्वात्मान मंत्री चाहे तो अपने वैयक्तिक स्टाफ के केवल दो सदस्यों को कार्यालय समापन के लिए 15 दिन तक और काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

क्रकाOज्ञाO सं0-10/20/79-के0से0॥१॥, दिनांक 2.8.79॥

11. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त किए गए ऐर-सरकारी पदाधिकारियों के चरित्र तथा पूर्व-वृत्त का सत्यापन

- मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियाँ किए जाते समय, नियुक्ति किए जा रहे वैयक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुदेश कार्यक्रम व प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग इस्थाO-खू द्वारा जारी किए गए हैं।

12. सरकारी कर्मचारियों/बाहर से आए व्यक्तियों की मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति

यद्यपि मंत्रियों/उप मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के लिए भर्ती नियमों का गठन नहीं किया गया है फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

- १। १। ऊपरी ओमु सीमा पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है किन्तु तद्दत्त 58 वर्ष की आयु के बाद पद को धारित नहीं कर सकता।
- १। १। तदनुरूपी पदों के लिए टंकण तथा आमुलिषि की गति सहित शैक्षिक अंहताएँ पूरी होनी चाहिए; और
- १। १। केवल कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की सहमति से ही उपरोक्त १। १। व १। १। में छूट दी जा सकती है।

काठगाठ सं-८/८७-के०से० १। १।, दिनांक २०.१.८८

13. उन पदाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी जो मंत्री स्तर के तो हैं किन्तु मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं:

इस विभाग के इस तथा अन्य कार्यालय-ज्ञापनों में वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी के मानदण्ड उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिनका स्तर तो मंत्री का है किन्तु जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं उनकी हकदारी उनके वास्तविक कार्यभार पर निर्भर करती है, जो कि हो सकता है तदनुरूपी स्तर के मंत्री परिषद के सदस्यों के समान न हो, जिन्हें अपने मंत्रालय के कार्य तथा जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अतिरिक्त भारी मात्रा में मंत्रिमण्डल तथा इसकी समितियों, संसद व इसकी समितियों आदि से संबंधित कार्य करना होता है। अतः ऐसे पदाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों के मामलों में लागू किए जाने वाले मानदण्डों का संदर्भ दिए बिना, वास्तविक कार्यभार के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

14. यूंकि इस कार्यालय-ज्ञापन का उद्देश्य इस विषय की नीति तथा अनुदेशों को केवल व्यापक दृष्टिकोण देना है अतः नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रावधानों के लिए समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय-ज्ञापनों को देखा जाना चाहिए।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे ह्ये सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं।

मंत्री परिषद
प्रसाद सहा बाली
निदेशक फेंटो तेंडू

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

